



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/252

19/06/2025

को,

Plexconcil के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: चीन जन. गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म" के आयात के संबंध में डंपिंग रोधी जांच, कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव की जांच करने के लिए उपर्युक्त विषय वस्तु के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत गठित नामित प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई है।

टैरिफ वर्गीकरण:

विषयगत वस्तुओं के पास एक समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है, लेकिन इन्हें आईटीसी एचएस कोड - 39095000, 39191000, 39199010 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 39 के तहत "प्लास्टिक और उसके लेखों" की श्रेणी के तहत आयात किया जा रहा है। 39199090, 39201019, 39201099, 39206190, 39206290, 39206919, 39206922, 39206929, 39206939, 39206999, 39209490, 39209912, 39209919, 39209939, 39209991, 39209999, 39211310, 39211390, 39211900, 39219029, 39219099, 39269069, और 39269099। हालाँकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 16 जून, 2025 की आरंभ अधिसूचना संख्या 6/17/2025 डीजीटीआर की एक प्रति यहां उपलब्ध है -

<https://www.dgtr.gov.in/en/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-thermoplastic-polyurethane-tpu-0>

समय सीमा:

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए adv13-dgtr@gov.in , सलाहकार-dgtr@govcontractor.in , dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की गई सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नावली देखें तथा प्रक्रिया के लिए उपरोक्त लिंक देखें।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

[अधिक जानकारी](#) के लिए यहां क्लिक करें।

सम्मान,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद